

आवश्यक सूचना

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाट धारकों को सूचित किया जाता है कि विभिन्न सम्पदा कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को शीघ्र ही आनलाईन किया जा रहा है। जिसमें प्रथम चरण में अलोटमेंट लैटर, रि-अलोटमेंट लैटर, भवन का नक्शा, मोरटगेज, डि-मोरटगेज जैसी सेवाओं को लिया गया है। ये सभी सेवाएं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के वैब पोर्टल (www.huda.org.in) के माध्यम से उपलब्ध होंगी। प्लाट धारक अपना लागिन आईडी व पासवर्ड का इस्तेमाल करके इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। चूंकि ये सेवाएं online माध्यम से उपलब्ध होंगी इसलिए सभी प्लाट धारकों से अनुरोध है कि वे अपना पासवर्ड, आधार लिंकड मोबाइल नंबर, इमेल आई डी आदि अपने online property account में अपडेट करें ताकि सुरक्षित एवं पारदर्शित सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। अधिक जानकारी के लिए हुडा के वैब पोर्टल या हैल्पलाईन न0 1800-180-3030 का उपयोग करें।